नीतिगत पहलें और सुधारात्मक उपाय

03
अध्याय

नीतिगत पहलें और सुधारात्मक उपाय

1. कोयला क्षेत्र में उत्पादन और दक्षता बढ़ाने से संबंधित उपायः अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि

सीएमपीडीआई गैर–सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग की योजना योजना को लागू करने और प्रमोशनल ब्लॉकों में क्षेत्रीय अन्वेषण करने के लिए नोडल एजेंसी है। सीएमपीडीआई सीआईएल ब्लॉकों में ड्रिलिंग और अन्वेषण कार्य की भी योजना बनाता है और उसे निष्पादित करता है। इसके अलावा, सीएमपीडीआई नीलामी के माध्यम से विभिन्न आवंटनों के लिए आवंटित ब्लॉकों के साथ–साथ एनएमईटी के तहत वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए अन्वेषण करता है। अन्वेषण गतिविधियां सीएमपीडीआई के विभागीय संसाधनों के माध्यम से, समझौता ज्ञापन के तहत एमईसीएल के माध्यम से और खुली निविदा के माध्यम से लगी आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से की जाती हैं।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान संवर्धनात्मक (क्षेत्रीय) ब्लाकों में लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक वेधन निम्नानुसार है –

(ड्रिलिंग लाख मीटर में)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक	पिछले वर्ष से वृद्धि %
2020-21	1.15	1.26	9%
2021-22	1.40	1.69	34%
2022-23	0.65	0.77	-54%
2023-24	1.50	1.74	126%
2024-25	2.20	2.57	48%
2025-26	2.25	0.76 (नवंबर 2025 तक)	-

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान गैर–सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत वेधन लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक ड्रिलिंग इस प्रकार है:

(ड्रिलिंग लाख मीटर में)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक	पिछले वर्ष से वृद्धि %
2019-20	6.50	6.74	39%
2020-21	6.50	6.45	-4%
2021-22	2.00	2.59	-60%
2022-23	1.35	1.82	-30%
2023-24	1.60	2.55	40%
2024-25	4.30	4.46	75%
2025-26	4.50	4.11 (नवंबर 2025 तक)	-

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान सीआईएल ब्लाकों में विस्तृत ड्रिलिंग में लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक ड्रिलिंग निम्नानुसार है:

(ड्रिलिंग लाख मीटर में)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक	पिछले वर्ष से वृद्धि %
2019-20	6.30	5.83	-30%
2020-21	4.95	5.45	-6%
2021-22	4.35	3.98	-27%
2022-23	4.19	3.58	-10%
2023-24	3.70	3.80	6%
2024-25	3.40	2.81	-26%
2025-26	3.40	1.47 (नवंबर 2025 तक)	-

उपरोक्त के अलावा, सीएमपीडीआई ने एनएमईटी और कंसल्टेंसी फंडिंग के माध्यम से कोयला और गैर–कोयला में अन्वेषण भी किया है। वित्त वर्ष 2025–26 में, अप्रैल, 25 से नवंबर, 25 की अवधि के दौरान, सीएमपीडीआई ने एनएमईटी निधियन के अंतर्गत 0.005 लाख मीटर ड्रिलिंग और विभिन्न आवंटियों को आवंटित कोयला ब्लॉकों में 0.155 लाख मीटर ड्रिलिंग की है

2. परियोजनाओं को पूरा करना और मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार

2.1. कोल इंडिया लिमिटेड

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, सीआईएल में 10 खनन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और 02 खनन परियोजनाएं पूरी की गई हैं।

दिनांक 30–11–2025 की स्थिति के अनुसार, 1047.27 एमटीवाई की कुल स्वीकृत क्षमता और 173468 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत पूंजी के साथ 123 सतत कोयला परियोजनाएं (20 करोड़ रुपये और उससे अधिक की लागत) हैं। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन और पूरा होना भूमि के कब्जे, पर्यावरणीय स्वीकृतियों, वानिकी स्वीकृति, निकासी अवसंरचना आदि जैसी सांविधिक स्वीकृतियों जैसे महत्वपूर्ण बाहरी कारकों पर निर्भर करता है।

परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए सीआईएल द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं –

(क) पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में भूमि के कब्जे में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों से लगातार अनुनय। इसके अलावा, भूस्वामियों को मुआवजा स्वीकार करने और कंपनी द्वारा अधिग्रहीत भूमि सौंपने के लिए लगातार आग्रह किया जा रहा है।

(ख) एफसी और ईसी की मंजूरी की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों के साथ निरंतर समन्वय और संपर्क।

(ग) परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की सहायक कंपनी और सीआईएल स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। कोयला मंत्रालय मासिक आधार पर 500 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा करता है।

(घ) परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) महत्वपूर्ण मुद्दों को नियमित अंतरालों पर उच्चतम स्तर पर राज्य सरकार के साथ उठाता है। कोयला मंत्रालय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकार के साथ विशेष रूप से वानिकी मंजूरी और भूमि के वास्तविक कब्जे की सुविधा के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करता है।

प्रभावी निगरानी और त्वरित तथा सूचित निर्णय लेने की सुविधा के लिए, सीआईएल द्वारा ईआरपी पोर्टल लॉन्च किया गया था, जो परियोजनाओं / खानों के प्रत्येक विवरण को आत्मसात करता है, निष्पादन का विश्लेषण करता है और प्रासंगिक रिपोर्ट तैयार करता है।

परियोजनाओं की निगरानी ईआरपी पोर्टल के पीएस मॉड्यूल के माध्यम से की जाती है।

कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, सीआईएल ने पहले ही नई परियोजनाएं और ओसी पैच शुरू कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त, मौजूदा खानों/परियोजनाओं का क्षमता विस्तार, जहां कहीं व्यवहार्य हो, ईसी विस्तार अथवा ईपीआर के माध्यम से किया जा रहा है।

2.2 सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड –

दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार, एससीसीएल की 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली 10 परियोजनाएं हैं, जिनकी निगरानी ओसीएमएस पोर्टल के माध्यम से की जा रही है और इन्हें मासिक रूप से अद्यतित किया जा रहा है। राज्य स्तर पर और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ लंबित मुद्दों का समाधान करने के लिए चल रही परियोजनाओं की विभिन्न उपलब्धियां की स्थिति की निगरानी ओसीएमएस पोर्टल (एमओएसपीआई) (अब आईआईजी–पीएमजी के माध्यम से) के माध्यम से की जा रही है।

3. कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपायः

3.1 कोयले के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं –

i. कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा।

ii. कैप्टिव खान स्वामियों (परमाणु खनिजों को छोड़कर) को ऐसी अतिरिक्त राशि के भुगतान पर केन्द्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित तरीके से खान से संबद्ध अंत्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद खुले बाजार में अपने वार्षिक खनिज (कोयला सहित) उत्पादन का 50% तक बेचने में सक्षम बनाने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 ख्एमएमडीआर अधिनियम, का अधिनियमन।

iii. कोयला खानों के प्रचालन में तेजी लाने के लिए कोयला क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल।

iv. कोयला खानों के शीघ्र प्रचालन के लिए विभिन्न अनुमोदन/स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए कोयला ब्लॉक आबंटियों को हैंडहोल्डिंग हेतु परियोजना निगरानी इकाई।

v. राजस्व शेयरिंग आधार पर वाणिज्यिक खनन की नीलामी वर्ष 2020 में शुरू की गई। वाणिज्यिक खनन स्कीम के अंतर्गत उत्पादन की निर्धारित तारीख से पूर्व उत्पादित कोयले की मात्रा के लिए अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण (अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट) पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई हैं।

vi. वाणिज्यिक कोयला खनन के निबंधन और शर्तें कोयले के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होने बोली प्रक्रिया में नई कंपनियों को भाग लेने की अनुमति देने, अग्रिम राशि में कमी होना, मासिक भुगतान के प्रति अग्रिम राशि का समायोजन करने, कोयला खानों को प्रचालनात्मक बनाने के लिए लचीलेपन को प्रोत्साहित करने के लिए उदार दक्षता पैरामीटर बनाने, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर आधारित राजस्व हिस्सेदारी मॉडल के साथ बहुत उदार है।

3.1 कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए सीआईएल द्वारा किए जा रहे उपायः

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) खानों के विस्तार (ब्राउनफील्ड परियोजनाओं), नई खानों (ग्रीनफील्ड परियोजनाओं) को खोलने, मशीनीकरण और अपनी खानों के आधुनिकीकरण, भूमिगत (यूजी) और ओपनकास्ट (ओसी) दोनों के माध्यम से अपने कोयला उत्पादन को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। सीआईएल अपनी भूमिगत (यूजी) खानों में जहां कहीं भी संभव हो, सतत खनिकों (सीएम), लॉन्गवॉल (एलडब्ल्यू) और हाईवॉल (एचडब्ल्यू) की तैनाती के साथ मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज (एमपीटी) जैसी नई और आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपना रहा है। अपनी ओपनकास्ट (ओसी) खानों में, सीआईएल के पास पहले से ही अपने उच्च क्षमता वाले उत्खनन और डंपरों में अत्याधुनिक तकनीक है। ओपनकास्ट खानों में हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) का मानकीकरण किया गया है। कुशल और पर्यावरण के अनुकूल खनन के लिए ओपनकास्ट खानों में भूतल खनिकों को भी तैनात किया गया है। सीआईएल ने पर्यावरण मंजूरी/वन मंजूरी, भूमि अधिग्रहण, कोयला हैंडलिंग संयंत्र (सीएचपी)/साइलो, रेल परियोजनाओं आदि के माध्यम से मशीनीकृत लदान जैसे निकासी अवसंरचना

जैसे सभी अपेक्षित संसाधनों को पूरा करने के लिए कार्रवाई शुरू की है।

3.2 कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए एससीसीएल द्वारा किए जा रहे उपायः

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) द्वारा नई परियोजनाओं की नींव रखने और मौजूदा परियोजनाओं के संचालन के लिए नियमित संपर्क किया जा रहा है। एससीसीएल ने कोयला हैंडलिंग संयंत्रों (सीएचपी), क्रशर, मोबाइल क्रशर, प्री–वेटबिन आदि जैसे कोयले की निकासी के लिए अवसंरचना विकसित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। नई परियोजनाओं के कार्यकलापों की प्रगति और मौजूदा परियोजनाओं के प्रचालनों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

3.3 कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए एनएलसीआईएल द्वारा किए जा रहे उपायः

एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने कोयला और लिग्नाइट उत्पादन बढ़ाने के लिए खनन क्षेत्र में नई खनन तकनीकों को अपनाया है।

4. सीआईएल में खानों का प्रौद्योगिकीय विकास और आधुनिकीकरण

4.1 भूमिगत खान का मशीनीकरण

राष्ट्र के विजन 2047 में भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया है। इस उपयोग से जो विकसित हुआ वह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि कोयला राष्ट्र के ऊर्जा आपूर्ति मिश्रण में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके अलावा, अधिक से अधिक ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल तरीकों से प्राप्त की जानी चाहिए जिसमें पर्यावरण के अनुकूल खनन विधियां शामिल हैं जिससे भूमिगत खानों के महत्व और प्रासंगिकता में काफी वृद्धि होगी। इसलिए, सीआईएल ने एक यूजी विजन प्लान तैयार किया है और इसके अनुसार, सीआईएल ने वर्ष 2034–35 के अंत तक 100 एमटी उत्पादन करने की योजना बनाई है। भूमिगत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रमुख बल क्षेत्र सतत खनिक (सीएम) को बड़े पैमाने पर शुरू करना और साथ ही निष्कर्षण की प्रतिशतता में पुनरूद्धार करने के लिए बड़ी संख्या में हाईवाल खानों को लागू करना है। यूजी से कोयला उत्पादन बढ़ाने और खराब कोयले का दोहन करने के लिए, जो अन्यथा पुरानी/बंद/चल रही ओसी खानों में हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, एमडीओ के माध्यम से राजस्व शेयरिंग मॉडल द्वारा परित्यक्त/बंद खानों को पुनः खोलकर प्रयास किए गए हैं। वर्तमान में, लगभग 20.671 एमटीवाई की कुल उत्पादन क्षमता वाली 23 भूमिगत खानों और लगभग 2.4 एमटीवाई की उत्पादन क्षमता वाली 2 लांगवाल फेसिस में 42 सतत खनिक (सीएम) लगाए गए हैं।

यूजी विजन प्लान के अनुसार, सीआईएल ने वर्ष 2034–35 तक 37 सीएम को शुरू करने की योजना की परिकल्पना की है और शेष 61 चल रहे है। वर्तमान में, 5 हाईवाल खनिक 2.5 मि.ट. की क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं और अतिरिक्त 5 हाइवॉल खनिक वर्ष 2034–35 तक कार्य शुरू कर दिया जाएगा। एमडीओ के माध्यम से राजस्व शेयरिंग मॉडल पर परित्यक्त/बंद की गई खानों की नीलामी के उद्देश्य से, अब तक प्रस्तावित क्षमता की लगभग 39.84 एमटीवाई क्षमता वाली कुल 28 खानें सौंपी गई हैं। इसके अतिरिक्त, खान कामगारों के अनुत्पादक यात्रा समय को कम करने के उद्देश्य से अनेक भूमिगत खानों में 46 मैन–राइडिंग प्रणाली शुरू की गई है। इसके अलावा, ट्रैकलेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम (पांच फ्री–स्टीयर वाहन और छह बहु–उपयोगिता वाहन) को पुरुषों और सामग्री परिवहन के लिए शुरू किया गया है।

4.2 ओपनकास्ट खान का मशीनीकरण–

- सीआईएल ने कार्य कुशलता में सुधार के लिए अत्याधुनिक तकनीक पेश की है। गेवरा विस्तार, दीपका और कुसमुंडा ओपनकास्ट खानों में 240 टन रियर डम्पर के साथ 42 कम फावड़ा जैसे उच्च क्षमता वाले एचईएमएम चल रहे हैं, जबकि एनसीएल के अमलोहड़ी, दुधिचुआ, जयंत, खाडिया और निगाही और ईसीएल के राजमहल में 190टी/200टी रियर डंपर के साथ 20 कम शोबेल चल रहे हैं। 30.11.2025 तक सीआईएल में इन उच्च क्षमता वाले एचईएमएम की आबादी 42 घन मीटर – 8 नंबर, 20 कम शोबेल – 26 नंबर, 240 टन डंपर – 72 नंबर और 190 टी/200 टी डंपर – 163 नंबर हैं।
- प्रचालन दक्षता, ग्राहकों की संतुष्टि में पुनरूद्धार और पर्यावरणीय जरूरतों को पूरा करने के लिए ओपनकास्ट खानों में बड़े पैमाने पर भूतल खनिक शुरू किए गए हैं। वर्ष 2023–24 के दौरान सीआईएल के कुल कोयला उत्पादन का 54.84% सतही खनिकों का उपयोग करके प्राप्त किया गया था और यह

वर्ष 2024–25 के दौरान बढ़कर 57.85% हो गया है। दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार, सीआईएल की कई ओपनकास्ट खानों में किराए पर लेने के माध्यम से तैनात सतही खनिकों के अलावा 47 विभागीय सतही खनिक प्रचालनरत है।

4..3 सर्वेक्षण और अन्वेषण

- उच्चतम स्तर की सटीकता के लिए, सर्वेक्षण और मापन कार्य के लिए कुल स्टेशन और 3डी टीएलएस सर्वेक्षण उपकरण पहले ही लगाए जा चुके हैं। सीएमपीडीआई द्वारा ऑप्टिकल सेंसर, लिडार और थर्मल सेंसर से लैस उच्च स्तरीय सर्वेक्षण ग्रेड ड्रोन प्रौद्योगिकी की खरीद की गई है, जिसका उपयोग विभिन्न सर्वेक्षण उद्देश्यों जैसे वॉल्यूमेट्रिक मापन, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, खान अग्नि क्षेत्रों की थर्मल मैपिंग, परिवर्तन का पता लगाने, मृदा नमी संरक्षण (एसएमसी) अध्ययन और खान प्रचालन के लिए डिजिटल टेरेन मॉडल की पीढ़ी के लिए किया जा रहा है। डीजीपीएस उपकरण का इत्सेमाल बाउंड्री सर्वेक्षण के लिए किया जा रहा है
- जियोमैटिक्स डिवीजन, सीएमपीडीआई में बनाया गया गति शक्ति सेल, पीएम गति शक्ति पोर्टल पर विभिन्न परियोजनाओं के विश्लेषण के लिए काम कर रहा है।
- कोयला क्षेत्र सीमाएं, कोयला/लिग्नाइट ब्लॉक (सीआईएल, सीएमएसपी, एमएमडीआर, एससीसीएल, एनएलसीआईएल), कोयला निकासी प्रणाली, रेलवे साइडिंग का अवस्थिति, सीएचपी का अवस्थिति, सीआईएल के अंतर्गत वाशरियों का अवस्थिति, एफएमसी परियोजनाएं, भूमि परिसंपत्ति आंकडे (अधिग्रहित भूमि, राजस्व भूखंड, वन भूमि, गैर–वन भूमि, तकनीकी सुधार, वृक्षारोपण स्थल, खनन दाहिनी सीमा), नीलामी के अधीन कोयला ब्लॉक, सीबीएम ब्लॉक, बोरहोल स्थान, जीएसआई डेटा, ड्रोन से प्राप्त डेटा, इको–पार्क, सौर पार्क, अनुसंधान एवं पुनर्वास स्थल, बंद/परित्यक्त खानों को आवश्यकता के अनुसार पीएमजीएस–पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। इन जीआईएस परतों के अलावा, उपयोगकर्ताओं के लिए विभिन्न विश्लेषणात्मक उपकरण भी विकसित किए गए हैं। डेटा अपलोडिंग और अपडेशन नियमित आधार पर किया जाता है।
- हाइड्रोस्टेटिक ड्रिलिंग रिग ने अन्वेषण दक्षता को बढ़ाया है, जिससे बेहतर कोर रिकवरी और नमूना गुणवत्ता के साथ तेज, गहरी और अधिक सटीक ड्रिलिंग सक्षम हो गई है। ये रिग विभिन्न प्रकार के इलाकों में अधिक गतिशीलता भी प्रदान करते हैं, जिससे प्रचालन के घंटे बढ़ जाते हैं। वे स्वचालन, जीपीएस–निर्देशित स्थिति और वास्तविक समय की निगरानी से लैस हैं, जो सटीक और कुशल ड्रिलिंग संचालन सुनिश्चित करते हैं। इस वर्ष, सीएमपीडीआई पुराने मैकेनिकल ड्रिलिंग रिग को बदलने के लिए ऐसे 11 हाइड्रोस्टेटिक ड्रिलिंग रिग खरीद रही है।
- ड्रोन तकनीक ने अन्वेषण गतिविधियों में महत्वपूर्ण सुधार लाया है, विशेष रूप से उत्तर–पूर्वी राज्यों जैसे लहरदार इलाके और कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों में। ड्रोन का उपयोग बड़े क्षेत्रों के तेजी से कवरेज को सक्षम बनाता है और उच्च–रिज़ॉल्यूशन डेटासेट के निर्माण का समर्थन करता है। प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर में सुधार भी व्यापक क्षेत्रों में सटीक भूवैज्ञानिक, संरचनात्मक और खनिज शरीर मॉडलिंग की अनुमति देता है।
- भूकंपीय सर्वेक्षण जमीन की सतह पर किया जाने वाला एक भूभौतिकीय सर्वेक्षण है जिसमें वाइब्रेटर (सतह पर)/विस्फोटक (शॉट होल में) का उपयोग करके ध्वनिक तरंगें उत्पन्न होती हैं। शॉक वेव्स जमीन के माध्यम से यात्रा करती हैं और कोयला, रेत पत्थर, शेल आदि जैसी विभिन्न भूवैज्ञानिक संरचनाओं से परावर्तित होती हैं। परावर्तित तरंगों को जमीन पर सतह पर दर्ज किया जाता है, आमतौर पर 5 मीटर से 10 मीटर की दूरी पर एक प्रोफाइल लाइन के साथ लगाए गए जियोफोन का उपयोग किया जाता है।
- इस प्रकार रिकॉर्ड किए गए डेटा को पीएआरएडीआईजीएम, लैंडमार्क और प्रो–मैक्स आदि जैसे अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर का उपयोग करके संसाधित और व्याख्या की जाती है ताकि सतह के नीचे स्थित संरचनाओं की निरंतरता, बिछाने और स्वभाव को पता लगाया जा सके। अर्थात कोयला

सीम आदि। यह दोषों का सीमांकन, कोल सीम पिंच आउट, पैलियोचैनल और डोलेराइट डाइक आदि द्वारा संरचनाओं में असंतुलन की भी पहचान कर सकता है।

- ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) का उपयोग गैर–इनवेसिव उप सतही इमेजिंग के लिए कोयले की खोज में किया जाता है, जिससे उथले कोयला सीम, रिक्तियों, दोषों और अन्य भूवैज्ञानिक असंतुलन का पता लगाने की अनुमति मिलती है।
- गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय और प्रतिरोधकता इमेजिंग भूभौतिकीय तकनीकें हैं जिनका उपयोग कोयले की खोज में उपसतह संरचनाओं और चट्टान के गुणों में भिन्नता की जांच के लिए किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय सर्वेक्षण घनत्व और चुंबकीय संवेदनशीलता विरोधाभासों का पता लगाने, दोषों, डाइक और बेसिन सीमाओं की पहचान करने में मदद करते हैं, जबकि प्रतिरोधकता इमेजिंग विद्युत चालकता में भिन्नता को मानता है, कोयला सीम, जलभृत और ओवरबर्डन विशेषताओं के चित्रण में सहायता करता है। ये विधियाँ, सीएमपीडीआई के उन्नत डेटा प्रोसेसिंग के साथ मिलकर, भूवैज्ञानिक मॉडलिंग और संसाधन मूल्यांकन में सटीकता में सुधार करती हैं।
- एस्टर मल्टीस्पेक्ट्रल डेटा का उपयोग कोयला खान की आग और कोयला और अन्य खनिज अन्वेषण में सीएमबी का पता लगाने के लिए किया जाता है। कोयला खनन में खनिज अन्वेषण और प्रारंभिक सर्वेक्षण के लिए एस्टर–मल्टी स्पेक्ट्रल और हाइपरियन–हाइपर स्पेक्ट्रल डेटा दोनों का उपयोग किया जाता है। आरईई और अन्य गैर–कोयला खनिजकरण के लिए, परिवर्तन क्षेत्र मानचित्रण और खनिजकरण का पता लगाने में मल्टी स्पेक्ट्रल और हाइपर स्पेक्ट्रल डेटा का विश्लेषण किया जाता है।
- सीएमपीडीआई ने प्राकृतिक गामा, कोयला घनत्व और प्रतिरोधकता लॉग जैसे भूभौतिकीय लॉग से कोयला समीपस्थ मापदंडों और सकल कैलोरी मान (जीसीवी) की भविष्यवाणी करने के लिए स्वचालित लिथोलॉजी पहचान, मशीन मॉडल विकसित किए हैं। इसके अलावा, सीएमपीडीआई ने अच्छी तरह से सहसंबंध तकनीक के लिए डायनेमिक टाइम रैपिंग (डीटीडब्ल्यू) तकनीक आधारित मॉडल विकसित किए हैं। उपर्युक्त विकसित एमएल मॉडलों का परीक्षण किया जाता है और तालचेर, आईबी वैली, झरिया और बिसमपुर कोलफील्ड्स में स्थित ब्लॉकों से बोरहोल में उत्साहजनक परिणाम दिए जाते हैं।
- तालचर, आईबी वैली, झरिया और बिसमपुर कोलफील्ड्स में स्थित अन्य ब्लॉकों में ड्रिल किए गए बोरहोल के लिए भी मॉडल तैनात किए जा सकते हैं। ये एमएल मॉडल भूभौतिकीय लॉग डेटासेट की तेज, अनुकूलित और सुसंगत व्याख्या का उत्पादन कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, सीएमपीडीआई ने अपने स्वदेशी रूप से विकसित डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, सी–माइंड को तैनात किया है, जिसने डेटा प्रोसेसिंग समय को स्पष्ट रूप से कम कर दिया है और भूवैज्ञानिक रिपोर्ट (जीआर) तैयार करने की दक्षता में वृद्धि की है।

5. प्रौद्योगिकी विकास और खानों का आधुनिकीकरण:

एनएलसी इंडिया लिमिटेड भारत में लिग्नाइट और कोयला खनन में अग्रणी है, जिसने खानों और तापीय इकाइयों के अपने विभिन्न क्षेत्रों में नई खनन प्रौद्योगिकियों को अपनाया है।

खनन क्षेत्र में अपनाई जा रही नवीनतम प्रौद्योगिकियों का सार नीचे दिया गया है:

5.1 एनएलसीआईएल' का नवीनतम प्रौद्योगिकीय नवाचार:

i. भू–स्थानिक आंकड़े एकत्र करना, प्रोसेसिंग पर उनका विज़ुअलाइज़ेशन और अंत में ओबी/लिग्नाइट/कोयला मात्रा के विश्लेषण पर रिपोर्ट तैयार करना।

एनएलसीआईएल स्टैंडअलोन के रूप में जीएनएसएस रिसीवर्स के साथ 3डी टीएलएस का उपयोग कर रहा है और आईबी, ओबी, कोयला और लिग्नाइट के वॉल्यूम मापन पर आवधिक सत्यापन के लिए जीएनएसएस रिसीवर (रोवर) के साथ एकीकृत टीएलएस के रूप में उपयोग करने का भी अनुमान है। ये पद्धतियां एनएलसीआईएल के सभी कोयला और लिग्नाइट खनन में उपयोग में लाई जा रही हैं।

ii. ट्रिम्बल आर12 जीएनएसएस रिसीवर और 3डी–स्थलीय लेजर स्कैनर के एकीकरण के साथ भू–स्थानिक डाटा जेनरेशन जो खनन में सटीकता मानक को बढ़ाने के लिए खानों में स्थलीय लेजर स्कैनर उपयोग में एक बेंचमार्क अनुकूलन करेगी।

iii. भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस):

- भू–संदर्भित भू–संदेय भूकर मानचित्र के आधार पर जीआईएस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कई विशेषताओं में भूमि अधिग्रहण डाटा बेस विवरण शामिल किए गए हैं।
- उसी तरह ये भू–स्थानिक डाटा जो किसी वस्तु के स्थान, आकार और आकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, अधिकारियों को आगे प्रस्तुत करने के लिए भी तैयार किए जाते हैं।

iv. जीआईएस का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है:

- ओबी/आईबी/लिग्नाइट/कोयला भंडार आकलन।
- भू–रासायनिक और जल विज्ञान डाटा।
- भू–तकनीकी जांच
- अन्य संबंधित रिपोर्ट तैयार करना आदि,

6. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कोयला खानों का आबंटन रद्द/डी–अलोकेट किया गया

रद्द किए गए 204 कोयला ब्लॉकों में से, नामनिर्दिष्ट प्राधिकरी ने अब तक कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत 139 कोयला खानें आवंटित की हैं, जिनमें से 70 कोयला खानें शुरू हो गई हैं जबकि 60 कोयला ब्लॉकों में उत्पादन हो रहा है।

वर्ष 2025–26 के दौरान (31 दिसंबर, 2025 तक), भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द/डी–अलोकेट की गई कोयला खानों में से कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत 10 कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं।

7. एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों का आवंटनः

एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधानों के तहत अब तक 70 कोयला खानें आबंटित की गई हैं। वर्ष 2025–26 के दौरान (10 दिसंबर, 2025 तक) एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधानों के तहत 12 कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं।

घरेलू कोयले का उत्पादन बढ़ाने और भारत को कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 18 जून 2020 को भारत में पहली बार कोयले की बिक्री के लिए वाणिज्यिक कोयला खनन शुरू किया गया था। 5.5 वर्षों की छोटी अवधि के भीतर, ~293.43 मि.ट. की पीक रेटेड क्षमता वाली 133 कोयला खानों की सफलतापूर्वक नीलामी के 12 दौर आयोजित किए गए हैं। वाणिज्यिक कोयला खनन कोयला क्षेत्र के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है।

8. गुणवत्ता और थर्ड–पार्टी सैंपलिंग – वर्तमान निर्णय

कोल इंडिया लिमिटेड/एससीसीएल द्वारा आपूर्ति किए गए कोयले की गुणवत्ता के मुद्दे पर सरकार द्वारा सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। कोयले की गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ताओं (विद्युत उपयोगिताओं) की चिंताओं को दूर करने के लिए, कोयला मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में कोयले के तीसरे पक्ष के नमूने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) शुरू की गई थी ताकि कोयला कंपनियों द्वारा आपूर्ति किए गए कोयले की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। थर्ड पार्टी सैंपलिंग को गैर–विद्युत क्षेत्र में भी बढ़ाया गया था। देश में विभिन्न कोयला लदान बिंदुओं पर कोयले के नमूनों के संग्रहण, तैयारी, विश्लेषण और प्रलेखन के लिए थर्ड पार्टी सैंपलिंग एजेंसियों (टीपीएसए) को पैनल में शामिल किया गया है। टीपीएसए का चयन या तो नामांकन या निविदा की प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। नए टीपीएसए को अब पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) द्वारा सूचीबद्ध किया जा रहा है। इसके अलावा, सचिव (कोयला) और सचिव (बिजली) के बीच 02.11.2023 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सरकारी एजेंसियां, जो विद्युत मंत्रालय/कोयला मंत्रालय/कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा नामांकन के आधार पर थर्ड पार्टी सैंपलिंग असाइनमेंट कर रही हैं, उन्हें बाजार में थर्ड पार्टी सैंपलिंग एजेंसी के रूप में भी शामिल किया जा सकता है, जैसा कि थर्ड पार्टी सैंपलिंग एजेंसियों के पैनल के पीएफसी दूसरे दौर की निविदा में सामने आया है, यदि यह ऐसी नमूना एजेंसियों के लिए सहमत है। यह व्यवस्था पीएफसी, सीसीओ और कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा थर्ड–पार्टी सैंपलिंग एजेंसियों के पैनल के अतिरिक्त

है। वर्तमान में, लगभग बारह टीपीएसए पैनल में शामिल हैं। कोयला उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार टीपीएसए चुनने के लिए स्वतंत्र हैं।

9. कोयला लिंकेज का युक्तिकरण:

कोयला लिंकेज का युक्तिकरण कोयला मंत्रालय की एक नीतिगत पहल है ताकि कोयला खानों से उपभोक्ता तक कोयले की ढुलाई में दूरी को कम किया जा सके। विद्युत क्षेत्र में कोयला लिंकेज युक्तिकरण के परिणामस्वरूप खानों से विद्युत संयंत्रों तक परिवहन लागत में कमी आई है जिससे अधिक कुशल कोयला आधारित विद्युत उत्पादन हुआ है। यह उपयोग परिवहन अवसंरचना पर भार को कम करने, निकासी बाधाओं को कम करने के साथ–साथ कोयले की उतराई लागत में कमी लाने में मदद करता है। आईपीपी/निजी क्षेत्र के संयंत्रों के लिए कोयले के युक्तिकरण की पद्धति भी दिनांक 15.05.2018 को जारी की गई थी। पिछले यौक्तिकीकरण उपयोगों को केवल विद्युत क्षेत्र के लिए कार्यान्वित किया गया था। लिंकेज युक्तिकरण पर वर्ष 2020 में तैयार की गई नई पद्ध ति में विद्युत के साथ–साथ गैर–विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) को भी शामिल किया गया है और आयातित कोयले के साथ कोयले की अदला–बदली की भी अनुमति दी गई है।

अब तक, कुल 102.88 मिलियन टन कोयले (गैर विद्युत की 0.48 मि.ट. सहित) को युक्तिसंगत बनाया गया है, जिससे 7500 करोड़ रुपये की वार्षिक संभावित बचत हुई है।

10. गैर–विनियमित क्षेत्र के लिए कोयला लिंकेज की नीलामी:

गैर–विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) के लिए कोयला लिंकेज की नीलामी की नीति वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। नीति में निर्धारित किया गया है कि एनआरएस (उर्वरक (यूरिया) को छोड़कर) के लिए कोयला लिंकेज का आबंटन नीलामी आधारित होगा। केवल सीपीएसई और उर्वरक (यूरिया) के लिए पूर्ववर्ती ऱ्इंधन आपूर्ति करार (एफएसए) का नवीकरण किया जाएगा। नीति के तहत एफएसए अधिकतम 15 वर्षों की अवधि के लिए होगा। वर्ष 2020 में शुरू की गई नीति में संशोधन के साथ, एनआरएस लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि को 30 वर्ष तक की अवधि के लिए संशोधित किया गया है। एनआरएस के विभिन्न उप–क्षेत्रों के लिए अलग–अलग मात्रा निर्धारित की जाती है और नीलामी उप–क्षेत्रों के लिए आयोजित की जाती है।

कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए एनआरएस लिंकेज नीलामी के तहत वर्ष 2022 में एक नया उप–क्षेत्र 'सिन–गैस का उत्पादन जिससे कोयला गैसीकरण हुआ' बनाया गया था ताकि कोयला गैसीकरण के लिए कोयले की आवश्यकता वाले नए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जा सके। इससे पर्यावरण पर कोयले के पारंपरिक उपयोग के प्रतिकूल प्रभावों को भी कम किया जा सकेगा। इस उप–क्षेत्र के अंतर्गत लिंकेज की नीलामी सातवें दौर से शुरू की गई है।

एनआरएस लिंकेज नीलामी के तहत "डब्ल्यूडीओ रूट के माध्यम से कोकिंग कोयले का उपयोग करके इस्पात" के नामकरण के साथ एक और नया उप–क्षेत्र मार्च, 2024 में बनाया गया है, ताकि घरेलू कोकिंग कोल में वृद्धि हो और देश में वाश्ड कोकिंग कोल की उपलब्धता बढ़ सके ताकि कोकिंग कोयला आयात कम हो सके।

इस नीति के तहत सीआईएल द्वारा अब तक 8 चरणों में लिंकेज नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसमें सफल बोलीदाताओं द्वारा कुल 191.30 मि.ट. कोयला लिंकेज बुक किए गए हैं। लिंकेज नीलामी का 9वां दौर चल रहा है।

10.1 कोलसेतु विंडो:

12.12.2025 को, सीसीईए ने किसी भी औद्योगिक उपयोग और निर्यात के लिए कोयले का उपयोग करने, कोयले के निर्यात के लिए लिंकेज को सक्षम करने, या देश में पुनर्विक्रय को छोड़कर किसी अन्य उद्देश्य (कोयला धुलाई सहित) के लिए गैर–विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीति, 2016 में "कोलसेतु विंडो" नामक नई विंडो का निर्माण करके निर्बाध, कुशल और पारदर्शी उपयोग (कोलसेतु) के लिए कोयला लिंकेज की नीलामी की नीति को मंजूरी दी। कोयला मंत्रालय द्वारा 19.12.2025 को कोलसेतु विंडो पर नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

11. शक्ति के तहत विद्युत क्षेत्र के लिए कोयला लिंकेज:

सरकार ने मौजूदा आश्वासन पत्र (एलओए)–ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) प्रणाली को समाप्त करने का अनुमोदन दे दिया और पारदर्शी रूप से भारत में कोयले के दोहन और आवंटन की स्कीम (शक्ति), 2017 को शुरू किया, जिसे कोयला मंत्रालय द्वारा दिनांक 22.05.2017 को जारी किया गया था। वर्ष 2019 और 2023 में उक्त नीति में संशोधन भी किए गए हैं। शक्ति नीति की मुख्य विशेषताएं (जैसा कि इसके

विभिन्न पैरा के तहत उल्लेखित है) निम्नानुसार हैं:

पैरा क: ऱ्इंधन आपूर्ति करार (एफएसए) पर लंबित आश्वासन पत्र (एलओए) धारकों के साथ यह सुनिश्चित करने के बाद हस्ताक्षर किए जाएं कि संयंत्र शुरू हो गए हैं, संबंधित लक्ष्य पूरे हो गए हैं, एलओए की सभी विनिर्दिष्ट शर्तों को विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरा किया गया है और जहां एलओए धारक के विरुद्ध कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया गया है। इसके अलावा, इसने वार्षिक संविदात्मक मात्रा (एसीक्यू) के 75% की दर पर लगभग 68,000 मेगावाट की क्षमता के लिए मौजूदा कोयले की आपूर्ति को जारी रखने की अनुमति दी है जिसे कोयले की उपलब्धता के आधार पर भविष्य में और बढ़ाया जा सकता है। इस नीति ने लगभग 19,000 मेगावाट क्षमता के लिए एफएसए की तुलना में 75% एसीक्यू कि कोयले की आपूर्ति को सक्षम किया है, जिसे शुरू करने में विलंब हुआ है, बशर्ते कि ये संयंत्र दिनांक 31.03.2022 तक शुरू हो जाएं। डिस्कॉम द्वारा आमंत्रित बोलियों के प्रति भविष्य में संपन्न किए जाने वाले मध्यावधि विद्युत क्रय करारों (पीपीए) को भी लिंकेज कोयला आपूर्ति के लिए पात्र बनाया गया है।

पैरा ख (i) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)/सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) विद्युत मंत्रालय की सिफारिशों पर अधिसूचित मूल्य पर राज्य/केन्द्रीय जेनको/संयुक्त उद्यमों को कोयला लिंकेज प्रदान कर सकती है।

पैरा ख (ii) घरेलू कोयले पर आधारित दीर्घावधि पीपीए वाले स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) के साथ लिंकेज, जहां नीलामी में भाग लेने वाले आईपीपी टैरिफ (पैसे/यूनिट में) पर छूट के लिए बोली देंगे। ख (ii) बोलीदाता, जो किसी भी कारण से के तहत लिंकेज नीलामी में भाग नहीं ले सके, उन्हें इस नीति की ख (ii) नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा, बोलीदाता, जो पूर्ण एसीक्यू के लिए लिंकेज प्राप्त नहीं कर सके, बेंचमार्किंग छूट के बाद ख (ii) के तहत बाद के चरण में भविष्य की नीलामियों में भाग लेकर शेष मात्रा के लिए लिंकेज प्राप्त कर सकते हैं।

पैरा ख (iii) पीपीए रहित आईपीपी/विद्युत उत्पादकों को लिंकेज नीलामी आधार पर होगा।

पैरा ख (iv) राज्यों को विवरण सहित कोयला लिंकेज की उपलब्धता की पूर्व घोषणा करके नए पीपीए के लिए कोयला लिंकेज भी निर्धारित किए जाएं। राज्य डिस्कॉम्स/राज्य नामित एजेंसियों (एसडीए) के साथ इन लिंकेज का उल्लेख कर सकते हैं।

पैरा ख (v) राज्यों के समूह की विद्युत आवश्यकता को भी एकत्रित किया जा सकता है और ऐसी समग्र विद्युत की प्राप्ति विद्युत मंत्रालय द्वारा नामित अथवा टैरिफ आधारित बोली के आधार पर ऐसे राज्यों द्वारा प्राधिकृत किसी एजेंसी द्वारा की जा सकती है।

पैरा ख (vi) विद्युत मंत्रालय की सिफारिश पर टैरिफ निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली के माध्यम से केन्द्र सरकार की पहल के अंतर्गत अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) की स्थापना के लिए नामित एजेंसी द्वारा निगमित विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी) को पूर्ण नियामक मात्रा के लिए लिंकेज प्रदान किए जाएंगे।

पैरा ख (vii) कोयला मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय के परामर्श से आयातित कोयले पर आधारित पीपीए वाले आईपीपी को कोयला लिंकेज आबंटित करने के लिए पारदर्शी बोली प्रक्रिया की विस्तृत पद्धति तैयार करे जिसमें उपभोक्ताओं को लागत बचत का पूरा अंतरण हो।

पैरा ख (viii):

(क) निजी उत्पादकों सहित ऐसे सभी विद्युत संयंत्र, जिनके पास पीपीए नहीं है, को शक्ति नीति के अंतर्गत न्यूनतम 3 माह और अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए कोयला लिंकेज की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि उस लिंकेज के माध्यम से उत्पादित विद्युत की बिक्री विद्युत एक्सचेंजों में किसी उत्पाद के माध्यम से अथवा डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट एनर्जी प्राइस (डीईईपी) पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अल्पावधि में की जाए।

(ख) डीईईपी पोर्टल का प्रयोग करते हुए अल्पावधि पीपीए के माध्यम से विद्युत की बिक्री के लिए मौजूदा कोयला लिंकेज का उपयोग अथवा उत्पादक द्वारा विद्युत एक्सचेंज का उपयोग, जो डिस्कॉम द्वारा भुगतान में चूक के मामले में अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए अथवा दीर्घ/मध्यम अवधि पीपीए के अंतर्गत विद्युत का कोई अन्य खरीदार मिलने तक पीपीए समाप्त कर देता है, जो भी पहले हो।

(ग) ख (अ) के अंतर्गत कोयला लिंकेज उन मामलों में भी लागू होता है, जहां विद्युत मंत्रालय द्वारा नामित नोडल एजेंसी ऐसे राज्यों से मांग किए बिना भी राज्यों के समूह के लिए विद्युत आवश्यकता को

एकत्र/प्रापण करती है।

(घ) केन्द्र और राज्य उत्पादन कंपनियां तनावग्रस्त विद्युत परिसंपत्तियों की विद्युत के एग्रीगेटर के रूप में कार्य कर सकती हैं।

(ङ) ऋण की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए कार्यतंत्र।

अब तक, नीति के विभिन्न पैराओं के अंतर्गत निम्नलिखित क्षमताओं के लिए कोयला लिंकेज प्रदान किए गए हैं –

i. शक्ति नीति के पैरा क (i) के प्रावधानों के तहत 8,780 मेगावाट की कुल क्षमता वाले आश्वासन पत्र (एलओए) धारकों को ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) पर हस्ताक्षर करने के लिए मंजूरी दी गई है।

ii. शक्ति नीति के पैरा ख (i) के प्रावधानों के तहत 58 तापीय विद्युत संयंत्र (टीपीपी) को 63,810 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए लिंकेज प्रदान किया गया है।

iii. शक्ति ख (ii) के अंतर्गत नीलामी के कुल छह दौर आयोजित किए गए हैं जिनमें कोयला लिंकेज की कुल बुक की गई मात्रा 38.90 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) है।

iv. शक्ति पैरा ख (iii) के अंतर्गत नीलामी के नौ दौर आयोजित किए गए हैं और लगभग 64.08 एमटीपीए कोयला लिंकेज बुक किया गया है।

v. शक्ति पैरा बी (पअ) के अंतर्गत गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, बिहार और उत्तराखंड राज्यों के लिए कुल 33659 मेगावाट क्षमता के लिए कोयला लिंकेज निर्धारित किए गए हैं।

vi. शक्ति नीति के पैरा ख (v) के तहत, 4500 मेगावाट की क्षमता के लिए कोयला लिंकेज निर्धारित किया गया है।

vii. शक्ति नीति के पैरा ख (viii) (क) के तहत कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा लिंकेज नीलामी के 23 दौरों का आयोजन किया गया है और सफल बोलीदाताओं द्वारा लगभग 105.43 मि.ट. कोयला बुक किया गया है।

11.1 संशोधित शक्ति नीति, 2025:

बिजली क्षेत्र को कोयला आवंटन के लिए संशोधित शक्ति (भारत में कोयला का पारदर्शी रूप से दोहन और आवंटन की योजना) नीति को 7 मई, 2025 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित किया गया था। कोयला मंत्रालय द्वारा 20.05.2025 को संशोधित शक्ति नीति पर नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। संशोधित शक्ति नीति सभी विद्युत उत्पादकों को कोल लिंकेज सुनिश्चित करती है जिससे अधिक विद्युत उत्पादन, सस्ती टैरिफ और अर्थव्यवस्था पर समग्र सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। घरेलू कोयले की बढ़ी हुई उपलब्धता, सरलीकृत तरीके से, शेष दबावग्रस्त विद्युत परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार की सुविधा प्रदान करती है। लिंकेज कोयले का उपयोग अब बिजली बाजारों में बिक्री के लिए गैर–अपेक्षित अधिशेष (यूआरएस) क्षमता से विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है, जो न केवल पावर एक्सचेंजों में विद्युत उपलब्धता बढ़ाकर बिजली बाजारों को मजबूत करेगा बल्कि उत्पादन स्टेशनों का इष्टतम उपयोग भी सुनिश्चित करेगा। यह नीति पिट हेड थर्मल क्षमता अभिवृद्धि को प्रोत्साहित करती है और आयातित कोयला आधारित (आईसीबी) संयंत्रों में आयातित कोयले के प्रतिस्थापन की सुविधा प्रदान करती है जो घरेलू कोयले को सुरक्षित कर सकती है जिससे उनकी आयात कोयले पर निर्भरता कम हो सकती है। इस प्रकार संशोधित शक्ति नीति घरेलू कोयले के उपयोग को अधिकतम करती है, निर्बाध थर्मल क्षमता वृद्धि सुनिश्चित करती है, वैश्विक बाजारों पर कोयले के लिए निर्भरता को कम करती है, और सभी के लिए ऊर्जा सुरक्षा के लिए सरकार के प्रयास के साथ देश की ऊर्जा स्वतंत्रता को मजबूत करती है।

इस सुधार की प्रमुख विशेषताओं में से एक पूर्ववर्ती लिंकेज प्रणाली को आठ श्रेणियों से केवल दो विंडोज तक सरलीकृत करना है। केन्द्रीय क्षेत्र/राज्य क्षेत्र/स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) के ताप विद्युत संयंत्रों को नए कोयला लिंकेज प्रदान करने के लिए, संशोधित शक्ति नीति के अंतर्गत निम्नलिखित दो विंडो हैं –

क. अधिसूचित मूल्य पर केंद्रीय विद्युत उत्पादन कंपनियों/राज्यों को कोयला लिंकेजः विंडो–I

ख. अधिसूचित मूल्य से अधिक प्रीमियम पर सभी जेनको को कोयला लिंकेजः विंडो–II

संशोधित शक्ति नीति की विंडो–I के तहत गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल और हरियाणा राज्यों को कुल 11260 मेगावाट की क्षमता के लिए कोयला लिंकेज निर्धारित किए गए हैं।

12. ब्रिज लिंकेज पर नीति

केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) खविद्युत और गैर–विद्युत क्षेत्र दोनों, के निर्दिष्ट अंतिम उपयोग संयंत्रों को 'ब्रिज लिंकेज' प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश जिन्हें कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत अनुसूची– III कोयला खानें आवंटित की गई हैं और खान और खनिज (विकास और विनियमन अधिनियम, 1957) के तहत आवंटित कोयला ब्लॉक दिनांक 08.02.2016 को जारी किए गए थे। ब्रिज–लिंकेज केन्द्र तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिर्दिष्ट अंत्य उपयोग संयंत्र की कोयले की आवश्यकता तथा संबद्ध आबंटित कोयला खान/ब्लॉक से उत्पादन शुरू करने के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए एक अल्पावधिक लिंकेज के रूप में कार्य करता है।

13. कोयले की धुलाई पर जोर

कोकिंग कोल, जो देश में एक दुर्लभ वस्तु है, का उपयोग मुख्य रूप से ब्लास्ट फर्नेस रूट के माध्यम से इस्पात बनाने में बाद में उपयोग के लिए कोक के निर्माण में किया जाता है। घरेलू कोकिंग कोयला अधिक राख वाला कोयला है (अधिकांशत 18% –49% के बीच) और धमन भट्टी में सीध ो उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। घरेलू कोकिंग कोयले को राख की प्रतिशतता (ढ18: राख) को कम करने के लिए धोया जाता है और ब्लास्ट फर्नेस में उपयोग से पहले आयातित कोकिंग कोल (<9% राख) के साथ मिश्रित किया जाता है। इस्पात क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए, देश में कोकिंग कोल उत्पादन और परिष्करण में वृद्धि करने की तत्काल आवश्यकता है। धुले हुए कोकिंग कोल की बढ़ी हुई आपूर्ति के परिणामस्वरूप देश के आयात में कमी आएगी और देश की विदेशी मुद्रा पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

13.1 कोकिंग कोल क्षेत्रः

वर्तमान में, सीआईएल 18.35 एमटीपीए की कुल प्रचालन क्षमता के साथ 10 कोकिंग कोल वाशरी का संचालन करता है, जिसमें 11.6 एमटीपीए की संयुक्त क्षमता वाली तीन नई चालू वाशरी शामिल हैं। वित्त वर्ष 2025–26 (नवंबर 2025 तक) के दौरान, इन वाशरियों से कुल धुले हुए कोकिंग कोल का उत्पादन 3.59 मि.ट. के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले 1.4 मि.ट. रहा है।

13.2 गैर–कोकिंग कोयला क्षेत्रः

विद्युत संयंत्रों को वांछित गुणवत्ता के कोयले की आपूर्ति करने के लिए सीआईएल 21 एमटीपीए क्षमता वाली 3 गैर–कोकिंग कोयला वॉशरियों का प्रचालन कर रही है। इन 3 गैर–कोकिंग कोल वॉशरियों में से लखनपुर (10 एमटीपीए), एमसीएल को 15 अप्रैल, 2024 को शुरू किया गया था। इसके अतिरिक्त, सीआईएल विभिन्न सहायक कंपनियों में 5 गैर–कोकिंग डी–शैलिंग संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है, ये परियोजनाएं आयोजन और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

14. फ्लाई ऐश का निपटान –

ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पन्न फ्लाई ऐश का निपटान पर्यावरण की सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा, विनियमों का अनुपालन करने और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए आवश्यक है। कोयला मंत्रालय ने ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली फ्लाई ऐश के निपटान के उद्देश्य से परित्यक्त/गैर–कार्यशील खानों के आवंटन के लिए एक केंद्रीय स्तरीय कार्य समूह (सीएलडब्ल्यूजी) का गठन किया है। अब तक, 36 (छत्तीस) टीपीपी को 36 (छत्तीस) खानें आबंटित की गई थीं। इसके अलावा, फ्लाई ऐश निपटान के लिए खानों के आवंटन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एसओपी जारी किए गए हैं।

15. आग, धंसाव और पुनर्वास क्षेत्रों के समाध ान के लिए मास्टर प्लान

भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 12–08–2009 को आग से निपटने, भू–धंसाव और संकटापन्न क्षेत्रों से लोगों के पुनर्वास के क्षेत्र के साथ मास्टर प्लान अनुमोदित किया गया था। झरिया कोलफील्ड (जेसीएफ) में कार्यान्वयन की समय–सीमा कार्यान्वयन–पूर्व कार्यकलापों के 2 वर्षों सहित 12 वर्ष है और रानीगंज कोलफील्ड (आरसीएफ) के लिए अनुमोदित मास्टर प्लान के अनुसार 10 वर्षों के लिए विचार किया गया था। जेसीएफ के लिए मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की अवधि दिनांक 11.08.2021 को समाप्त हो गई है और आरसीएफ के लिए यह अवधि दिनांक 11.08.2019 को समाप्त हो गई है।

19वीं एचपीसीसी बैठक के निर्देश के अनुसार, वैकल्पिक पुनर्वास पैकेज, समय और लागत वृद्धि को शामिल करते हुए एक मसौदा व्यापक प्रस्ताव सीएमपीडीआई, आरआई–1 और एडीडीए तथा बीसीसीएल के परामर्श से सीएमपीडीआई आरआई–II और जेआरडीए के परामर्श से तैयार किया गया है।

एचपीसीसी की 21वीं बैठक में दोनों व्यापक प्रस्तावों पर चर्चा

की गई है। एचपीसीसी की 21वीं बैठक के निदेशानुसार, प्रस्ताव के संशोधन की प्रक्रिया को पश्चिम बंगाल सरकार में अंतिम रूप दिया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल राज्य मंत्रिमंडल ने 11.08.2025 को हुई अपनी बैठक में संशोधित आरएंडआर पैकेज को मंजूरी दे दी है और इसे संशोधित योजना की सहमति के लिए 21.08.2025 को भारत सरकार को भेज दिया गया है। झरिया आरएंडआर पैकेज के साथ समानता के सिद्धांत पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अंतिम रूप दिए गए संशोधित आरएंडआर पैकेज पर विचार करने के लिए कोयला मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 15.09.2025 और 25.11.2025 को लगातार दो बैठकें आयोजित की गईं। माननीय कोयला मंत्री ने निवासियों की सुरक्षा के लिए घरों के स्थानांतरण के संदर्भ में इस संवेदनशील पुनर्वास परियोजना के त्वरित कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित मास्टर प्लान'09 के पहले के लाभों की तुलना में संशोधित आरएंडआर पैकेज में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अनुशंसित वित्तीय लाभों की निगरानी के लिए 18.12.2025 को एक समीक्षा बैठक की।

क. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के लीजहोल्ड में मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की संक्षिप्त स्थिति

आग से निपटना:

झरिया कोलफील्ड में सतही कोयले की आग के चित्रण के लिए बीसीसीएल द्वारा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एनआरएससी), हैदराबाद के माध्यम से कोयला खान अग्नि सर्वेक्षण/अध्ययन शुरू किया गया था। वर्ष 2017 की रिपोर्ट के अनुसार कुल 34 सक्रिय अग्नि स्थल थे। बीसीसीएल ने इन स्थलों पर आग से निपटने के लिए कार्रवाई की है।

एनआरएससी ने वर्ष 2020–21 में आग का सर्वेक्षण किया है और 27 अग्निशमन स्थलों की उपस्थिति की सूचना दी है। बीसीसीएल ने वर्ष 2020–21 में सर्वेक्षण किए गए 27 राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) स्थानों पर कार्रवाई की है। इन 27 पैच में से 16 आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं। 15 स्थानों पर खुदाई के माध्यम से आग से निपटने का काम शुरू कर दिया गया है। 1 स्थान के लिए परियोजना एमडीओ मोड पर सौंपी गई है और प्रारंभिक कार्य चल रहे हैं। जिन 15 स्थानों पर काम शुरू हुआ है, उनमें से 9 स्थानों पर आग पर काबू पा लिया गया है।

एनआरएससी (2021–22) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, शेष 11 स्थानों में से 10 स्थानों पर आग लगने की प्रवृत्ति में कमी या मामूली आग देखी गई है और समग्र सतही आग क्षेत्र घटकर 1.8 वर्ग किमी हो गया है। इसलिए इन स्थानों को सतही ब्लैंकिंग द्वारा निपटाया जा रहा है। इन 10 स्थानों में से 8 स्थानों पर ब्लैंकेटिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष 1 स्थल पर आग बुझाने की प्रक्रिया आर्थिक रूप से अव्यवहार्य पाई गई है जिसके लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) के माध्यम से प्रस्ताव शुरू किया गया है। वर्ष 2024–25 के नवीनतम एनआरएससी सर्वेक्षण के अनुसार, आग का क्षेत्र और घटकर 1.53 वर्ग किमी हो गया है।

पुनर्वास:

मास्टर प्लान के अनुसार, 595 स्थलों पर कुल 54,159 परिवारों को सर्वेक्षण किया जाना था। जेआरडीए ने वर्ष 2020 में 595 स्थलों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है।

गैर–एलटीएच स्थानों पर स्थित परिवारों के पुनर्वास के लिए, 18272 आवासों का निर्माण शुरू किया गया है जिनमें से 16876 आवास बेलगोरिया पुनर्वास टाउनशिप ''झरिया विहार'' में पूरे हो चुके हैं जिनमें से 5350 आवास आबंटित किए गए हैं और 2876 परिवारों (गैर–एलटीएच) को प्रभावित क्षेत्रों से नए आवासों में स्थानांतरित किया गया है।

अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले बीसीसीएल कर्मचारियों को स्थानांतरित करने के लिए, निर्माण के लिए लिए गए 15713 आवासों को निर्माण के लिए लिया गया है और इन आवासों में 4479 बीसीसीएल कर्मचारियों को स्थानांतरित कर दिया गया है।

बीसीसीएल बोर्ड ने गैर–बीसीसीएल परिवारों के लिए जेआरडीए को 8,000 आवास सौंपने का निर्णय लिया है और इसका अनुमोदन जेआरडीए बोर्ड ने भी दे दिया है।

संशोधित झरिया मास्टर प्लान:

मास्टर प्लान की अवधि पूरी होने के कारण, कैबिनेट सचिव के निर्देश के अनुसार, 25 अगस्त 2021 को सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में झरिया मास्टर प्लान की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और स्टेकहोल्डरों के साथ बातचीत की। समिति ने दिनांक 27.02.2023 को कोयला मंत्रालय को "झरिया मास्टर प्लान की आगे की राह" पर रिपोर्ट सौंपी। तदनुसार झरिया मास्टर प्लान के कार्यान्वयन हेतु 12 दिसबंर, 2024 को अपर सचिव (कोल) की अध्यक्षता में अन्य समिति गठित की गई।

योजना। दोनों समितियों की सिफारिशों के आधार पर संशोधित झरिया

झरिया कोलफील्ड के प्रभावित परिवारों के धंसाव और पुनर्वास से निपटने के लिए मास्टर प्लान को 25.06.2025 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा 5940.47 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ तैयार और अनुमोदित किया गया है।

संशोधित जेएमपी 2025 के अनुसार, झरिया कोयला क्षेत्र के खतरे वाले क्षेत्र में रहने वाले कुल 649 बीसीसीएल परिवारों, 1130 एलटीएच परिवारों (सत्यापन के अधीन) और 13301 गैर–एलटीएच परिवारों (जी. कुल 15080 परिवारों) को स्थानांतरित करने के लिए पहचान की गई है।

बीसीसीएल ने अपने सभी 649 कर्मचारियों की तबादली का काम पूरा कर लिया है, जबकि 696 गैर–एलटीएच परिवारों को 31.12.2025 तक स्थानांतरित कर दिया गया है।

16. भूमि पुनरूद्धार के लिए उपग्रह निगरानी

16.1 कोल इंडिया लिमिटेड –

सतत विकास के लिए खनित क्षेत्रों क पुनरूद्धार महत्वपूर्ण है। समुचित पुनरूद्धार पर बल दिया जा रहा है जिसमें तकनीकी और जैविक पुनरूद्धार तथा खान बंद करना दोनों शामिल हैं। भूमि पुनरूद्धार की प्रगामी स्थिति का आकलन करने और पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए अपेक्षित उपचारी उपाय, यदि कोई हो, करने के लिए भूमि पुनरूद्धार हेतु उपग्रह से निगरानी पर अपेक्षित बल दिया जा रहा है।

सैटेलाइट डाटा के आधार पर सीआईएल खानों की भूमि पुनरूद्धार निगरानी दो श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली खानों के लिए की जा रही है:

(क) प्रतिवर्ष 5 एमसीएम (कोयला+ओबी) एमसीएम से अधिक उत्पादन करने वाली खानें: प्रतिवर्ष 5 एमसीएम (कोयला+ओबी) से अधिक के अंतर्गत आने वाली खानों/क्लस्टरों की वार्षिक आधार पर निगरानी की जाती है।

(ख) 5 एमसीएम (कोयला+ओबी) प्रति वर्ष से कम उत्पादन करने वाली खानें/क्लस्टर: प्रति वर्ष श्रेणी 5 एमसीएम (कोयला+ओबी) से कम श्रेणी के अंतर्गत आने वाली खानें/क्लस्टरों की उपग्रह आंकड़ों के आधार पर चरणबद्ध रूप से तीन वर्षों के अंतराल पर निगरानी की जाती है। उपग्रह आंकड़ों की डिजीटल इमेज प्रोसेसिंग और रिपोर्ट तैयार करने का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जाता है और संबंधित सहायक कंपनी/सीआईएल को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

ड्रोन आधारित सर्वेक्षण –

सीएमपीडीआई के पास दो सर्वे ग्रेड ड्रोन थे जो लिडार, ऑप्टिकल और थर्मल सेंसर से लैस हैं। सीएमपीडीआई ने हाल ही में एक नया फिक्स्ड विंग वीटीओएल ड्रोन/यूएवी प्राप्त किया है, जो ड्रोन के अपने बेड़े को और मजबूत करता है। इन ड्रोन/यूएवी का उपयोग वर्तमान में प्राप्त आवश्यकता के अनुसार सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया जा रहा है। उपर्युक्त के अलावा, सीएमपीडीआई द्वारा पैनल में शामिल कुछ ड्रोन सेवा प्रदाताओं की सेवाओं का भी नियमित आधार पर उपयोग किया जा रहा है। ड्रोन/यूएवी सर्वेक्षण के कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:

- सीएमपीडीआई ने कोयला ब्लॉकों के लिए ड्रोन आधारित स्थलाकृतिक सर्वेक्षण का काम शुरू किया है, जिसे कोयला ब्लॉकों के फ्लाई थ्रू वीडियो तैयार करने के लिए नीलाम किया जाएगा। यह संभावित बोलीदाताओं को क्षेत्र की बेहतर समझ और जल्द से जल्द ब्लॉक के विकास के लिए योजना बनाने के लिए पूरे ब्लॉक क्षेत्र का एक विहंगम दृश्य प्रदान करता है।
- फोटोग्रामेट्री तकनीक का उपयोग करके उच्च रिज़ॉल्यूशन ऑर्थो–फोटो मोज़ेक छवि और स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार करना।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर मैपिंग।
- फोटोग्रामेट्री तकनीक का उपयोग करके पुराने ओबी डंप पर स्थलाकृति और वॉल्यूमेट्रिक सर्वेक्षण।
- नीति आयोग के निर्देशानुसार सीसीएल की परित्यक्त खानों में ड्रोन सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
- नीलामी के लिए कोयला मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए खान डोजियर तैयार करने के संबंध में हाई रिजील्युशन ऑर्थो–फोटो मोजेक इमेज और संबद्ध डीजीपीएस सर्वेक्षण।

16.2 एनएलसी इंडिया लिमिटेड –

- **खतरनाक क्षेत्रों में सुरक्षा और निगरानी:** एनएलसीआईएल के पास 259 वर्ग किलोमीटर लीज्ड होल्ड क्षेत्र है और पुराने डंप और वनीकरण क्षेत्र हैं जिन्हें मानव जाति की सुरक्षा के लिए निगरानी की आवश्यकता है। एनएलसीआईएल यूएवी और लिडार संयोजन के साथ समय–समय पर इस क्षेत्र की नियमित निगरानी करना शुरू कर रहा है।
- **टाइम–लैप्स फोटोग्राफी:** एनएलसीआईएल खानों की ऑर्थोमोसिक तस्वीरें प्राप्त करने के लिए ड्रोन के साथ पेलोड के रूप में आरजीबी का उपयोग करना शुरू किया।

अन्य पहल –

- **स्टॉकपाइल इन्वेंट्री को मापना:**

  एनएलसीआईएल ने लिग्नाइट/कोयला स्टॉक मापन के लिए एक प्रयोगात्मक ड्रोन के रूप में एलआईडीएआर/आरजीबी आरटीके/पीपीके सक्षम ड्रोन का उपयोग करना शुरू किया।
- **साइट मैपिंग:** ड्रोन का उपयोग खानों और पुराने डंपों की मैपिंग के लिए किया जा रहा है।

  खानों और पुराने डंप की मैपिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है।

  हाल ही में नेयवेली (तमिलनाडु) और बीएलएमपी (राजस्थान) में खान II, ड्रोन मैपिंग क्रमशः मई 2022 और जून 2022 के महीने में की जाती है।

  बड़े पैमाने पर, एलआईडीएआर के साथ ड्रोन द्वारा लगभग 1600 हेक्टेयर बाहरी डंप सर्वेक्षण जनवरी 2024 के दौरान शुरू होने जा रहा है।
- **स्वयं के यूएवी का अधिग्रहण:**

  एनएलसीआईएल लिडार और अन्य पेलोड के साथ अपने स्वयं के यूएवी के अधिग्रहण के लिए खरीद ट्रैक पर है।
- **पहल के और उपाय के रूप में**

  जियोफेंसिंग में एआई प्रौद्योगिकियों/सेंसरों को लागू करने, ओबी के साथ–साथ लिग्नाइट/कोयले में ऊंची दीवारों की फेस मैपिंग/वॉल मैपिंग को लागू करने की योजना बनाई गई है।
- माइनेक्स सॉफ्टवेयरः अपने कोयला उत्पादन लक्ष्य को बढ़ाने के एक भाग के रूप में वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक के अधिग्रहण के साथ, "माइनेक्स", माइन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर टूल योजना प्रभाग के लिए खरीदा जाता है।

17. उत्पादकता मानदंडों की समीक्षा– सीआईएल और एससीसीएल के प्रति मैनशिफ्ट (ओएमएस) आउटपुट

(टन में)

वर्ष	कोल इंडिया लिमिटेड			सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड		
	यूजी	ओसी	कुल मिलाकर	यूजी	ओसी	कुल मिलाकर
2017-18	0.86	14.10	7.71	1.08	13.73	4.89
2018-19	0.95	14.68	8.51	1.39	16.95	6.22
2019-20	0.99	14.25	8.53	1.44	16.57	6.37
2020-21	0.93	15.09	9.02	0.92	13.80	5.61
2021-22	0.98	15.23	9.53	1.19	15.15	6.09
2022-23	1.05	22.04	12.80	1.27	13.94	5.31
2023-24	1.18	25.57	13.44	1.19	13.24	5.42
2024-25	1.31	24.07	12.30	0.98	14.88	5.79
2025-26 (नवंबर, 2025 तक) अस्थायी	1.35	24.65	11.73	0.84	15.69	6.98

18. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के संबंध में नीतिगत पहलें और सुधारात्मक उपाय

कोयला मंत्रलय के अधीन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की सीएसआर नीतियां कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा–निर्देशों के तहत प्रदान किए गए नीतिगत निर्देशों के भीतर तैयार की गई हैं।

वर्ष 2025–26 के दौरान की गई सीएसआर गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है:

18.1 कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)

वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, कोल इंडिया लि. (सीआईएल) तथा इसकी सहायक कंपनियों ने अपनी सीएसआर नीति के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत विभिन्न विकासात्मक परियोजनाएं/कार्यकलाप आरंभ किए हैं जिन्हें लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के वर्तमान दिशा–निर्देशों तथा कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है। वित्त वर्ष 25–26 और पिछले तीन वर्षों के दौरान सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा सीएसआर फंड और व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सीआईएल और सहायक कंपनियों के लिए सीएसआर बजट और व्यय (आंकड़े करोड़ रुपये में)

कंपनी	2022-23		2023-24		2024-25		2025-26		
	सांविधिक आवश्यकता	निर्धारित व्यय	सांविधिक आवश्यकता	निर्धारित व्यय	सांविधिक आवश्यकता	निर्धारित व्यय	सांविधिक आवश्यकता	निर्धारित व्यय (अप्रैल – दि. संबर)(अनंतिम)	अनुमानित (जनवरी – मार्च)
ईसीएल	0.00	6.92	0.00	7.33	0.17	4.41	7.51	4.03	4.00
बीसीसीएल	0.00	11.42	0.00	7.77	18.75	22.15	28.83	4.65	17.50
सीसीएल	46.27	36.12	51.68	61.91	62.26	81.11	74.25	50.03	23.00
डब्ल्यू सीएल	8.44	11.62	11.75	13.97	36.99	52.51	55.94	20.66	35.28
एसईसीएल	44.69	59.28	51.41	53.07	97.71	48.09	127.06	20.15	85.00
एमसीएल	195.86	207.97	142.31	162.89	286.56	228.08	323.69	197.19	126.50
एनसीएल	132.14	133.64	148.92	157.87	172.97	192.19	201.80	128.40	73.50
सीएमपीडीआईएल	7.30	8.92	7.66	8.81	7.01	9.33	10.91	3.55	8.60
कोल इंडिया	7.10	42.04	11.30	98.56	16.25	95.73	17.60	112.78	43.44
कुल	**441.80**	**517.93**	**425.03**	**572.18**	**698.67**	**733.60**	**847.59**	**541.44**	**416.82**

वित्त वर्ष 25–26 के दौरान शुरू की गई प्रमुख सीएसआर गतिविधियां/परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:

स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और स्वच्छता

- सर्जिकल उत्कृष्टता के लिए रोबोटिक सहायता प्राप्त हस्तक्षेप (आर.ए.आईएसआई एनसीएल द्वारा 30.00 करोड़ रुपए की राशि के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भोपाल को प्रदान की गई।
- एसईसीएल द्वारा 3.0 टेस्ला एमआरआई (मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग) मशीन की खरीद और स्वर्गीय बिसाहू दास महंत मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कोरबा, छत्तीसगढ़ को 28.08 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई।
- सीसीएल द्वारा सेंट्रलाइज्ड किचन, रामगढ़ को 22.09 करोड़ रुपये की राशि दी गई
- सीआईएल द्वारा 10.00 करोड़ रुपये की राशि के लिए बेहतर नैदानिक और संचालन सुविधाओं के प्रावधान के लिए गामा नाइफ चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए आंशिक वित्त पोषण के लिए वित्तीय सहायता
- सीसीएल के नन्हा सा दिल को सीसीएल द्वारा ₹ 9.54 करोड़ की राशि के लिए चुना गया
- सीआईएल की थैलेसिमिया बाल सेवा योजना के तहत रेनबो चिल्ड्रन अस्पताल, हैदराबाद के साथ समझौता ज्ञापन

शिक्षा, कौशलता और आजीविका

- सीसीएल द्वारा राज्य पुस्तकालय, रांची को 65.25 करोड़ रुपये की राशि दी गई
- सीआईएल द्वारा 57.06 करोड़ रुपये की लागत से आईआईटी आईएसएम धनबाद परिसर में शताब्दी भवन का निर्माण
- सिंगरौली में खनन प्रौद्योगिकी संस्थान के निर्माण के लिए एनसीएल द्वारा 53.72 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता
- सीआईएल द्वारा 50.00 करोड़ रुपये की राशि के लिए अनहुल, ओडिशा में 'एकीकृत इंजीनियरिंग और प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना की गई
- एनसीएल द्वारा वर्ष 2025–26 के लिए सीएसआर के तहत गैर–एनसीएल वार्डों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एनसीएल द्वारा 35.38 करोड़ रुपये की राशि के लिए एनसीएल द्वारा वित्त पोषित स्कूलों (11 संख्या) को अंतिम वित्त पोषण के आधार पर वित्तीय सहायता लागत
- ईएमआरएस में सीएसआर द्वारा वित्तपोषित जनजातीय सशक्तिकरण परियोजना के लिए 10 करोड़ रू. देने हेतु सीआईएल और एनएसटीएफडीसी के बीच समझौता ज्ञापन

ग्रामीण विकास

- 10253 के विद्युतीकरण के लिए वित्तीय सहायता। एनसीएल द्वारा चित्रांगी, सिंगरौली में 45.52 करोड़ रुपये की राशि के लिए परिवारों को मंजूरी दी गई
- एमसीएल द्वारा 22.43 करोड़ रुपये की लागत से लखनपुर ब्लॉक की विभिन्न सड़क विकास परियोजनाओं के लिए एफए
- एनसीएल द्वारा 19.95 करोड़ रुपये की राशि के लिए 5 वर्षों (लगभग 2 किमी) के लिए व्यापक रखरखाव के प्रावधान के साथ–साथ कांतार मोड़ से सर्किट हाउस, शुक्ला मोड़ से आरयूबी तक पीक्यूसी (फुटपाथ गुणवत्ता कंक्रीट) के साथ मौजूदा सड़क को चार लेन का बनाना और शुक्ला और सर्किट हाउस के बीच पुलिया का विस्तार करना
- सीआईएल द्वारा 5.86 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के नरकटियागंज, वेस्ट चंपारन आदर्श पोखरा का विकास
- सीसीएल द्वारा 5.41 करोड़ रुपये की लागत से चर्चू ब्लॉक के 9 गांवों में एकीकृत सामुदायिक विकास परियोजना शुरू की गई

अन्य विषय

- एसईसीएल द्वारा 44.66 करोड़ रुपये की लागत से पुराने जिंदल पुल से कायाघाट पुल तक केलो रिवर फ्रंट का विकास
- डब्ल्यूसीएल द्वारा डब्ल्यूसीएल के 10 क्षेत्रों के लिए 26.54 करोड़ रुपये की सीएसआर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई
- सीआईएल द्वारा 10.00 करोड़ रुपये की लागत से हावड़ा ब्रिज, कोलकाता की गतिशील रोशनी
- एनसीएल द्वारा 6.41 करोड़ रुपये की राशि के लिए जीवावन वन रेंज, सिंगरौली वन प्रभाग 2024–25 की जैव विविधता संरक्षण और वन्यजीव प्रबंधन योजना
- एसईसीएल द्वारा 5.31 करोड़ रुपये की राशि के लिए नामांकन के आधार पर विक्रेता 'द ड्रीमर डिजाइन' के माध्यम से एसईसीएल द्वारा शुरू किए गए सीएसआर कार्यों के लिए परियोजना निगरानी आवेदन

घटनाएँ, पुरस्कार और पुरस्कार

I. एमसीएल ने 9 अक्टूबर 2025 को गोपालपुर, ओडिशा में कंपनी के सीएसआर अधिकारियों के बीच ज्ञान साझा करने और डोमेन विशेषज्ञों से सीखने के लिए एक मंच के रूप में चौथे सीएसआर कॉन्क्लेव का आयोजन किया।

II. सीआईएल ने 8 मई 2025 को नई दिल्ली में सीआईएल की थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के तहत 700 अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण (बीएमटी) का उत्सव आयोजित किया। इस कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय कोयला और खान मंत्री और माननीय कोयला और खान राज्य मंत्री, भारत सरकार ने भाग लिया। माननीय मंत्रियों ने अपने सीएसआर प्रयासों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा में सीआईएल की

भूमिका पर प्रकाश डाला और सीआईएल योजना के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया।

III. सीआईएल को मुंबई में सीएसआर 2024 (फरवरी 2025 में प्रस्तुत) के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला।

IV. सीआइएल को अपने अनुकरणीय सीएसआर प्रयासों के लिए भुवनेश्वर (अक्टूबर 2025) में 19वां एक्सीड सीएसआर पुरस्कार और नई दिल्ली में ग्रीनटेक सीएसआर अवार्ड (जून 2025) प्राप्त हुआ।

18.2 सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड

एससीसीएल सीएसआर के तहत समुदायों और समाज के लाभ के लिए स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल, स्वच्छता, बेरोजगार युवाओं के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने, कौशल विकास, अनाथाश्रमों और वृद्धाश्रमों की सहायता करने, खेल, वृक्षारोपण, ग्रामीण विकास कार्यों जैसे सड़कों, नालियों को बनाने, सामुदायिक भवनों के निर्माण, स्ट्रीट लाइटिंग प्रदान करना, आदि जैसे ग्रामीण विकास कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न विकासात्मक गतिविधियां कर रहा है।

एससीसीएल ने वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए 156 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जिसमें से 41.97 करोड़ रुपये दिसंबर 2025 तक विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के लिए स्वीकृत किए गए हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है: –

- एससीसीएल प्रचालन क्षेत्रों में ग्रामीण विकास कार्यों के लिए सीएसआर के तहत 21 करोड़ रुपये की राशि।
- ओड़ीसा राज्य के अंगुल जिले के चेन्दीपाड़ा गांव में ग्रामीण विकास कार्यों के लिए 05 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
- यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले तेलंगाना राज्य में सिविल सेवा के उम्मीदवारों की सहायता के लिए 3 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।
- पीएचडी स्कॉलरों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद को 01 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
- करीमनगर जिले में छात्राओं को साइकिल उपलब्ध कराने के लिए 50 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है ताकि छात्राओं के बीच स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई छोड़ने की दर को कम किया जा सके।
- जल संसाधनों के संरक्षण के लिए पुराने जल निकायों की मिट्टी निकालने और पुनरूद्धार के लिए एससीसीएल के सभी प्रचालन क्षेत्रों के लिए 08 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
- युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए एससीसीएल प्रचालन क्षेत्रों के सभी जिलों में रोजगार मेलों के आयोजन के लिए 2.5 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
- रामागुंडम में कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए 20 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
- मंचेरियल जिले के लक्सेटीपेट में राजकीय जूनियर कॉलेज के निर्माण के लिए 1.25 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

18.3 एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल):–

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में नीतिगत पहलें और पुनरूद्धार उपाय:

पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक और चालू वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि के तहत एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्धारित और उपयोग की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(रु. करोड़)

कंपनी	2022-23		2023-24		2024-25		2025-26		2025-26
	सांविधिक (2%)	वास्तविक व्यय	सांविधिक (2%)	वास्तविक व्यय	सांविधिक (2%)	वास्तविक व्यय	सांविधिक (2%)	वास्तविक व्यय – दिसंबर, 25)	अनुमानित व्यय (जनवरी–मार्च)
एनएलसी इंडिया लिमिटेड	39.65	43.07	40.27	47.36	43.89	47.19	44.87	20.20	24.80

वित्त वर्ष 25–26 के दौरान एनएलसीआईएल द्वारा शुरू की गई प्रमुख सीएसआर गतिविधियां/परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:

1. **एनएलसीआईएल के सामान्य अस्पताल के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं:** एनएलसीआईएल नेयवेली और उसके आसपास के गांवों के सभी निवासियों को अपने सामान्य अस्पताल के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपचार और व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। हर साल, नेयवेली के परिधि वाले गांवों के लगभग 1.20 लाख रोगी सीएसआर के तहत एनएलसीआईएल जीएच की मुफ्त चिकित्सा सेवाओं से लाभान्वित हो रहे हैं।

2. **सामुदायिक चिकित्सा शिविर:** प्रचालनरत क्षेत्रों में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त चिकित्सा परामर्श और विटामिन अनुपूरण प्रदान किया गया है। हर साल, राजस्थान में बरसिंगसर परियोजना क्षेत्र और ओडिशा में तालाबीरा परियोजना क्षेत्रा के आसपास के क्षेत्र में स्थित परिधीय गांवों में लगभग 20 शिविर (चिकित्सा शिविर, रक्तदान शिविर, एचबी स्तर के जांच शिविर) आयोजित किए जा रहे हैं। एनएलसीआईएल के आसपास रहने वाले औसतन लगभग 15000 लोग लाभान्वित हो रहे हैं।

3. **जल धारा - छाछ वितरण:** समाज का कल्याण हमेशा एनएलसीआईएल के विचारों में सबसे आगे रहता है, जिसमें जरूरतमंद लोगों की सहायता करना एक मौलिक कर्तव्य है। इसके अनुरूप, एनएलसीआईएल 2015 से नेयवेली और उसके आसपास के क्षेत्र में स्थानीय समुदाय के लिए चिलचिलाती गर्मी के तापमान से राहत प्रदान करने के लिए अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के हिस्से के रूप में मुफ्त छाछ वितरण स्टालों (एनएलसीआईएल जल धारा) की मेजबानी कर रहा है। सीएसआर के तहत कंपनी हर साल गर्मी के चरम मौसम के दौरान 60 दिनों के लिए जनता को छाछ प्रदान करती है। प्रतिदिन लगभग 45000 लोग इस सुविधा का लाभ उठाते हैं।

4. **चिकित्सा उपकरणों का प्रावधान:** एनएलसीआईएल अपनी सीएसआर पहल के एक हिस्से के रूप में, जरूरतमंद रोगियों को बेहतर उपचार प्रदान करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी उपकरणों से लैस करने के लिए चिकित्सा विशेषता अस्पतालों की सहायता करता है। विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में समय पर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए चाइल्ड्स ट्रस्ट अस्पताल, चेन्नई के लिए खरीद के लिए कांची कामकोटी चाइल्ड्स ट्रस्ट अस्पताल चेन्नई को चिकित्सा उपकरण "होल्मियम लेजर 30 वाट – लिथो/क्वांटा इटली मेक" प्रदान किया गया।

यह पहल सामुदायिक कल्याण और संधारणीय विकास के लिए एनएलसीआईएल की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके, कंपनी "हेल्दी इंडिया" के व्यापक दृष्टिकोण में योगदान देती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का समर्थन करती है।

5. **टीबी उन्मूलन – 100 दिवसीय अभियानः** एनएलसी इंडिया लिमिटेड स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की "टीबी मुक्त भारत" पहल के साथ 100 दिवसीय अभियान के साथ तपेदिक के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज कर रही है। कंपनी तपेदिक से निपटने और टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अभियान के हिस्से के रूप में, 27.01.2025 को, एनएलसी इंडिया ने तपेदिक को खत्म करने का संकल्प लेते हुए "नि–क्षय शपथ" की शपथ दिलाई। "नि–क्षय वाहन" वाहन की डिजिटल स्क्रीन टीबी के खिलाफ बरती जाने वाली सावधानियों और डॉक्टरों के संदेशों को प्रदर्शित करेगी। टीबी से संबंधित इस अभियान के दौरान एनएलसीआईएल मुफ्त में परामर्श, दवाएं और जांच भी प्रदान कर रही है। भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार के साथ साझेदारी में, एनएलसीआईएल बड़े पैमाने पर टीबी उन्मूलन की दिशा में राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करती है।

6. **प्रधान मंत्री भारतीय जनौषधी केंद्र का उद्घाटनः** प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके) का उद्घाटन समारोह नेयवेली टाउनशिप में ब्लॉक–16 के अमरावती कॉम्प्लेक्स परिसर में आयोजित किया गया, जो इस क्षेत्र में सस्ती स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि योजना के तहत स्थापित प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र का उद्देश्य अपने ब्रांडेड फार्मासिस्टों की तुलना में 50–90 प्रतिशत कम कीमतों पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है, जिससे सभी, विशेष रूप से कम आय वाले परिवारों के लिए पहुंच और सामर्थ्य सुनिश्चित हो सके। यह योजना सार्वभौमिक सामर्थ्य के भारत के स्वास्थ्य देखभाल लक्ष्यों के अनुरूप है और जनता के लिए जेब से होने वाले चिकित्सा खर्चों को काफी कम करती है।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत

कुड्डालोर जिले में पीएमबीजेके आउटलेट नेयवेली टाउनशिप के उद्घाटन का समर्थन किया है, ताकि पीएपी (परियोजना प्रभावित व्यक्तियों) और स्थानीय समुदायों को स्थानीय निवासियों और आम जनता के लिए सस्ती दवाओं तक तत्काल पहुंच प्रदान की जा सके।

7. **स्वच्छता पखवाड़ा:** एनएलसीआईएल हर साल लगभग 5500 व्यक्तियों/एसएचजी/छात्रों को लाभान्वित करने वाले स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित कर रही है। व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता, अभियान और आस–पास के गांवों के स्कूलों में जागरूकता पैदा करना, ओडीएफ उपाय, "कार्मिक स्वच्छता और पर्यावरण स्वच्छता" पर डॉक्टरों द्वारा व्याख्यान कार्यक्रम, स्वच्छता पर नुक्कड़ नाटक, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं, स्वच्छता अभियान, प्लास्टिक और कचरा हटाना, अस्पतालों और औषधालयों की सफाई आदि के बारे में जागरूकता पैदा की जा रही है।

8. **एनएलसीआईएल स्कूल:** कंपनी आसपास के गांवों के छात्रों के लिए और कर्मचारियों के बच्चों के लिए 10 स्कूल – 3 हायर सेकेंडरी स्कूल, 2 हाई स्कूल, 3 मिडिल स्कूल और 2 प्राथमिक स्कूल चलाती है। इन स्कूलों से हर साल औसतन लगभग 5200 स्कूली बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करते हैं।

9. **स्कूली बच्चों के लिए पौष्टिक नाश्ता:** एनएलसीआईएल 3 एनएलसीआईएल उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा X, XI और XII के छात्रों के लिए नाश्ता स्कीम प्रदान कर रही है ताकि छात्रों को सुबह की विशेष कक्षाओं में भाग लेने में सक्षम बनाया जा सके, ताकि सार्वजनिक परीक्षाओं में उपस्थिति और प्रदर्शन में सुधार हो सके जिससे हर साल लगभग 2000 छात्र लाभान्वित हो सकें। नाश्ते की स्कीमों का छात्रों की उपस्थिति, पोषण, स्वास्थ्य और शैक्षणिक निष्पादन पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

10. **एनएलसीआईएल, नेयवेली के प्रचालन क्षेत्र में छात्र के लिए नीट कोचिंग:** हर साल, सीएसआर के तहत एनएलसीआईएल, नेयवेली के प्रचालन क्षेत्र में रहने वाले 40 छात्रों के लाभ के लिए नीट कोचिंग देने के लिए एनएलसीआईएल लगभग 45.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। कोचिंग कार्यक्रम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों

के छात्रों को वित्तीय और संसाधन बाधाओं को सीधे संबोधित करके पर्याप्त लाभ प्रदान करता है जो आमतौर पर उन्हें गुणवत्ता परीक्षण की तैयारी तक पहुंचने से रोकते हैं।

11. **शिक्षा सहायता:** एनएलसीआईएल हर साल जवाहर साइंस कॉलेज, नेयवेली के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए ट्यूशन फीस का योगदान कर रही है। हर साल 900 से अधिक छात्र इस छात्रवृत्ति सुविधा का लाभ उठाते हैं। ट्यूशन फीस के समर्थन ने डिग्री और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में छात्रों के नामांकन में काफी वृद्धि की है। इस परियोजना ने मूल्यवान स्नातक और स्नातकोत्तर अवसरों तक पहुंच प्रदान करके छात्रों के परिवारों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

12. **पड़ोसी गांवों में शिक्षा अवसंरचना का प्रावधान:** गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के हिस्से के रूप में, एनएलसीआईएल नेयवेली और कुड्डालोर जिले के आसपास के गांवों में स्थित सरकारी स्कूलों को अपना समर्थन प्रदान करता है। एनएलसीआईएल कक्षाओं के निर्माण, स्कूल के मैदान को समतल करने, शौचालयों के निर्माण, पेयजल सुविधाओं, विज्ञान प्रयोगशालाओं, स्कूल पुस्तकालयों और डिजिटल कक्षाओं आदि की स्थापना के माध्यम से अवसंरचना की आवश्यकता को पूरा करता है।

13. **नेयवेली में स्नेहा अपॉर्चुनिटी सर्विसेज** क्षेत्र के विशेष बच्चों के लिए एक डे केयर, शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र चलाती है। स्नेहा स्कूल हर साल लगभग 20 लाख रुपये की लागत से मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों (लगभग 75 बच्चों – 49 लड़कों और 26 लड़कियां) को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करता है। इन बच्चों के पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्यधारा में एकीकृत करने में मदद करने के लिए सेवाएं पूरी तरह से निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। इसमें विशेष निर्देश, योग और संगीत कक्षाएं शामिल हैं। छात्रों को आजीविका और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कौशल में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है, जिसमें सिलाई, बढ़ईगीरी, पाक कला और कागज उत्पाद और डोरमैट बनाना शामिल है। सॉफ्ट स्किल्स प्रदान करने के लिए एक कंप्यूटर प्रयोगशाला भी स्थापित की गई थी। कंपनी अवसंरचना सहायता, स्कूल अनुदान और सुविधाएं प्रदान करती है। हाल ही में परिधीय गांवों के छात्रों के लिए एक मुफ्त बस परिवहन सुविधा और एक मध्याह्न भोजन स्कीम शामिल है।

14. **निःशुल्क परिवहन सुविधा:** एनएलसीआईएल इस भावना का प्रतीक है, जो नेयवेली में स्नेहा अपॉर्चुनिटी स्कूल के बौद्धिक रूप से कमजोर बच्चों को अटूट समर्थन प्रदान करता है। एनएलसीआईएल के तत्वावधान में, स्नेहा अपॉर्चुनिटी स्कूल अपने छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षिक कार्यक्रमों की एक विविध श्रृंखला प्रदान करता है।

15. **ग्रामीण खेल:** सीएसआर के तहत एनएलसीआईएल ने कोयला मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार ग्रामीण समुदायों के युवाओं के लिए एक ग्रामीण खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस स्पोर्ट्स मीट में तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के 65 गांवों के युवा शामिल हैं। 2000 से अधिक युवाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ कुल 75 मैचों का आयोजन किया गया। इस आयोजन में क्रिकेट, वॉलीबॉल, पुरुषों के लिए कबड्डी और महिलाओं के लिए थ्रो–बॉल की प्रतियोगिताएं शामिल हैं।

16. **सामुदायिक अवसंरचना का विकास:** एनएलसीआईएल तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक अवसंरनचा को मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन/डीआरडीए को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इन उपायों में कुड्डालोर में प्रतिष्ठित टाउन हॉल का नवीनीकरण, पेयजल की आपूर्ति के लिए ओवरहेड टैंकों का निर्माण, महिलाओं और बच्चों के कल्याण और विकास के लिए प्रीस्कूल/आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण, अस्पताल भवनों का निर्माण, सामुदायिक जल तालाबों/झीलों का पुनरूद्धार, संपर्क सड़कों का निर्माण आदि शामिल हैं। सीएसआर की कार्रवाई से तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और कमजोर वर्गों सहित लगभग 3.5 लाख लोगों को लाभ होगा।

पुरस्कार और मान्यताएं:

एनएलसीआईएल को सीएसआर गतिविधियों के लिए वर्ष 2025–26 के दौरान निम्नलिखित पुरस्कारध्मान्यता प्राप्त हुई:

- सीएसआर के तहत जल प्रबंधन पहल को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय हरित पर्यावरण सीएसआर पुरस्कार 2025
- सीएसआर टाइम्स अवार्ड 2025– तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के सिरुमलाई गांव में चेक डैम के निर्माण को मान्यता देने के लिए
- एनएलसीआईएल की सीएसआर पहल को राष्ट्रीय सीएसआर फोकस पत्रिका में शामिल किया गया है।
- राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा में सीएसआर में उत्कृष्टता के लिए "शिक्षा विभूषण" पुरस्कार प्रदान किया गया।

19. सीएमपीएफओ में सुधार:

1) भविष्य निधि एवं पेंशन दावों के ऑनलाइन निपटान के लिए सी–केयर्स पोर्टल का संस्करण 2.0 जून 2025 में लॉन्च किया गया है, जिससे सीएमपीएफओ सदस्यों के खातों में भविष्य निधि और पेंशन का सीधा वितरण संभव हो गया है। सी–केयर्स संस्करण 2.0 में सदस्यों के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन भी है, जहां सदस्य अपनी प्रोफाइल, रोजगार प्रोफाइल देख सकते हैं, दावों को ट्रैक कर सकते हैं, शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और अपना अद्यतन पीएफ बैलेंस भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप में एक चौटबॉट सहायक भी है जो सदस्य को वांछित जानकारी प्राप्त करने में सहायता करता है। यह मोबाइल ऐप सभी सीएमपीएफ सदस्यों के लिए उपलब्ध है। वित्तीय मॉड्यूल (सी–केयर्स 2.0) के लागू होने से भविष्य निधि की राशि सदस्यों के खातों में उसी दिन तुरंत वितरित हो जाती है, जबकि पहले इसमें औसतन 7 दिन लगते थे।

2) कोयला खदान क्षेत्रों में पेंशन निपटान में लंबित मामलों को समाप्त करने, सामाजिक सुरक्षा तक समय पर पहुंच सुनिश्चित करने और घर–घर जाकर पेंशन एवं पेंशन निपटान सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से जून 2025 में मिशन प्रयास (सामाजिक सुरक्षा तक सुनिश्चित पहुंच के लिए त्वरित समाधान) शुरू किया गया है। इस मिशन का लक्ष्य कोयला श्रमिकों तक पहुंचना और उनके पेंशन एवं पेंशन दावों का शीघ्र निपटान करना है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के लिए प्रयास समन्वयकों को नियुक्त किया गया है, जो विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में लंबित मामलों की समीक्षा और समाधान करते हैं।

3) विलंब, भ्रष्टाचार/रिश्वतखोरी और लंबित दावों, निपटान में देरी, पीपीओ से संबंधित मुद्दों, पेंशन संशोधन आदि से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए, सीएमपीएफओ में 18 जुलाई 2025 को एक हॉटलाइन नंबर शुरू किया गया है।